न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-26RAAJodhpur2023-20RTA223 Beenjaram ors Vs Igyaram etc

01. बींजाराम पुत्र पाबूराम
02. माणकराम पुत्र पाबूराम
03. मोहनलाल पुत्र पाबूराम
04. मूलाराम पुत्र पुनाराम
05. मांगीलाल पुत्र पूनाराम

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- मेगवालों का बास, फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. इग्याराम पुत्र लूणाराम
2. जोधाराम पुत्र लूणाराम
3. चन्द्राराम पुत्र लूणाराम
4. श्रवणराम पुत्र लूणाराम
5. दुर्गाराम पुत्र लूणाराम
6. भूराराम पुत्र लूणाराम
7. भंवरलाल पुत्र लूणाराम
8. फूसी पुत्री लूणाराम
9. लुणाराम पुत्र प्रभूराम
10. पपादेवी पत्नी भूराराम
11. द्रोपदी पत्नी परमाराम
12. सुआ पत्नी राजेन्द्र
13. केकू पत्नी गोपीचन्द

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण-मेगवालों का बास, फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अक्टूबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 23/2011 बींजाराम व अन्य बनाम इग्याराम इत्यादि

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पुष्पेन्द्रसिंह, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक से सात व नौ

नि र्ण य

दिनांक : 15 जनवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2011 अनवान बींजाराम व अन्य बनाम इग्याराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अक्टूबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 18 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील पेश करने मे हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92-ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 74 रकबा 42 बीघा, खसरा नं. 95 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा खसरा नं. 110 रकबा 81 बीघा 06 बिस्वा ग्राम डेडीसरा तहसील फलोदी के संबंध में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अक्टूबर 2022 के जरिये अदम साक्ष्य में खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमें उनका जन्म से अधिकार है एवं कब्जा एवं काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व वादीगण का है, जो गिरदावरी

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संवतः 2012 से 2017 से स्पष्ट है एवं बिगोड़ी रसीदे से भी स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी में कानूनन बतौर टिनेन्ट काबिज व काश्त करते आ रहे है। वादीगण के वाद में महत्वपूर्ण काननी बिंदु निहित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार की परिभाषा में आते है। ऐसे वाद को अदम साक्ष्य में खारिज करने में विचारण न्यायालय द्वारा भयंकर कानूनी भूल की गई है। वादीगण साक्ष्य पेश करने हेतु तैयार थे, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा एवं उनके अधिवक्ता द्वारा कोरोना काल होने से समय पर वादीगण को सूचना नहीं कर सके। इस कारण तकनीकी आधार पर किसी मामले का निस्तारण करना वास्तविक न्याय नहीं है, बल्कि मामले के गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक था। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करने के उपरांत प्रथम तारीख पेशी में वादीगण को साक्ष्य पेश करने का अंतिम अवसर देने की कानूनी भूल की है। वादग्रस्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की भूल से प्रतिवादीगण के साथ वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया, बल्कि दस्तावेजो से यह भूमि पैतृक साबित है। वादीगण शुरु से लेकर आज दिन तक काबिज एवं काश्त करते आ रहे है जो गिरदावरी से साबित है। ऐसे वाद को गुणावगुण पर निर्णित नहीं करने से वादीगण को अपार नुकसान होगा एवं रेवेन्यू रेकर्ड में उनकी पैतृक भूमि में नाम दर्ज करने से रह जायेगा जिससे वादीगण को अपार नुकसान होगा। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के द्वारा पेश दस्तावेज देखे ही नहीं एवं सरसरी दृष्टि से पत्रावली को निर्णय में काउंट करने के उद्धेश्य से वाद को खारिज कर दिया, जबकि वादी साक्ष्य पेश करने हेत तैयार थे। उनको अधिवक्ता द्वारा यही बताया गया कि जरुरत होने पर आपको बुलवा लिया जायेगा। वादीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा उन्हें कानून की बारिकियों का

13.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ज्ञान नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादीगण का कहा गया कि आवश्यकता होने पर आपको बुला लिया जायेगा। इस कारण अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 15.01.2023 को वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उन्हें फोन कर बताया कि आपका वाद खारिज हो गया है, इसलिए आपको न्यायालय परिसर आना है। तब वादीगण ने दिनांक 16.01.2023 को संपूर्ण वाद पत्रावली की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल उसी दिन प्राप्त हो गई। अपीलांट्स द्वारा प्रथम जानकारी से अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2011 अनवान बींजाराम व अन्य बनाम इग्याराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को खारिज फरमाया तथा मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जावे कि वह उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सुनकर विधि अनुसार वाद का निस्तारण करे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2009(1)पेज 275 की न्यायिक नजीर पेश की।

प्रत्युतर में रेस्पोडेंट संख्या एक से सात व नौ के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से वादीगण के पूर्व पुरुष जेठाराम के नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादीगण के दादा/पिता प्रभुराम पुत्र चौथाराम के

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नाम दर्ज रहने से उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी कतई नहीं रही है। रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के बेचान से नवीन खातेदार दर्ज हो गये है, जिन्हे वादीगण द्वारा पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। वादीगण का कथन है कि सवंतः 2012 से 2018 की खसरा गिरदावरी में उनका नाम इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल ने आर.आर.टी. 2022(1) पेज 538 में धारित किया है कि खसरा गिरदावरी रेकॉर्ड ऑफ राईट नहीं है तथा खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है।

रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता द्वारा अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 44/2014 अनवान बींजाराम बनाम ईग्याराम में पारित निर्णय दिनांक 31 जुलाई 2015 की निर्णय प्रति पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध पेश अपील में अदालत हाजा द्वारा प्रथमदृष्टया मामला रेस्पोडेंट्स के पक्ष में मानते हुए अपील को खारिज किया गया।

अपनी बहस जारी रखते हुए वकील रेस्पो. ने कथन किया कि वादीगण द्वारा वादकरण की तारीख 05.01.2011 अंकित करते हुए 50 वर्ष बाद वाद सन् 2011 में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण पर सम्मन तामील होने होते ही उनकी ओर से वकालतनामा एवं जवाबदावा दिनांक 18.04.2011 को प्रस्तुत कर दिया गया। तत्पश्चात पत्रावली वादीगण के जवाबुल-जवाब एवं साक्ष्य ही विचाराधीन चलती रही। वादीगण की ओर से सात साल की अवधि तक जवाबुल-जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 09.04.2018 को उनका जवाबुल-जवाब बंद कर दिया गया तथा दिनांक 20.02.2020 को तनकीयात कायम की जाकर वादीगण को साक्ष्य के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, उसके बावजूद भी वादीगण द्वारा

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2022 को वादीगण की साक्ष्य बंद कर दी गई, जिसके विरुद्ध वादीगण द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय अदम साक्ष्य में वादीगण का वाद खारिज कर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। आलौच्य निर्णय एवं डिक्री वादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में खारिज किया गया, फिर भी अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील विलंब से पेश की गई तथा विलंब को कण्डोन किये जाने का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, माननीय राजस्व मण्डल, मा. उच्च न्यायालय एवं मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित निर्णयों में म्याद के बिंदु को गौण मानते हुए पक्षकारान् के न्याय प्राप्ति के लिए म्याद के बिंदु को कण्डोन किया है। लिहाजा मामले का तकनीकी आधार पर निर्णय किये जाने के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादीगण द्वारा दिनांक 05.01.2011 को वादकरण उत्पन्न होना बताकर दिनांक 10.02.2011 को वाद प्रस्तुत किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी संख्या एक से नौ ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होकर दिनांक 18.04.2011 को अपना जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुए वादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2011 से 09.04.2018 तक मय कोस्ट जवाबुल जवाब हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी वादीगण द्वारा जवाबुल जवाब पेश नहीं किये जाने से उनका जवाब बंद कर दिनांक 26.02.2020 को तनकीयात विरचित कर पत्रावली वादीगण की साक्ष्य में रखा जाना पाया जाता है। दिनांक 01.12.2020, 04.01.2021, 27.01.2021, 23.02.2021 मय कोस्ट, 08.02.2022, 07.03.2022 एवं दिनांक 04.04.2022 तक वादीगण को साक्ष्य के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2022 को साक्ष्य बंद कर दी गई। अपील स्तर पर अधिवक्ता अपीलांट ने इस संबंध में जाहिर किया कि कोरोना काल के कारण साक्ष्य पेश नहीं की जा सकी। किंतु यह अभिकथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन संख्या 2522/2022 बाबा साहेब रायसाहब कोबरने आदि बनाम प्योरटेक इण्डिया लि. व अन्य के मामले में पारित आदेश दिनांक 09.05.2022 व अन्य मामलों में दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को कोरोना महामारी के मध्यनजर मियाद-गणना में छूट हेतु उपयुक्त माना है। मगर आलौच्य मामले में वादी द्वारा उक्त समयावधि के बाद भी अनेक अवसर दिये जाने के उपरांत भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2022 को साक्ष्य का अवसर बंद कर दिया गया जो सही है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण की साक्ष्य बंद कर दिये जाने की आदेशिका के विरुद्ध वादीगण द्वारा साक्ष्य पुनः खुलवाने बाबत

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सक्षम स्तर पर किसी प्रकार की चाराजोही नहीं किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा वाद दायरी सन् 2011 से 2022 तक की गई पैरवी से प्रथमदृष्टया वादीगण का वाद के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का रवैया पाया गया है।

अपीलांट्स का कथन है कि इस संवतः 2013 से 2017 की गिरदावरी अनुसार वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर इस बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पाया जाता है। आर.आर. टी. 2022(1) पेज 538 माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ ने धारित किया है कि खसरा गिरदावरी रेकॉर्ड ऑफ राईट नहीं है तथा खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स कथन मिथ्या साबित होते है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 61 दिनांक 11.06. 1975 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार परभूड़ा पुत्र चौथा कौम मेगवाल की फौतेदगी पर उनके जायंदा पुत्र लूणा के नाम विरासतन नामांतरकरण भरा गया है, जिससे भी यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट वादीगण के पिता जेठाराम अथवा दादा हेमाराम के नाम कभी भी नहीं रही है, जिससे वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी नहीं माना जा सकता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को साक्ष्य के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा उदासीनता का रवैया अपनाते हुए साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद विधिसम्मत रूप से अदम साक्ष्य में खारिज किया गया है, जिसमें अदालत हाजा की राय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक

19-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नजीर के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से प्रकरण पर लागू नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2011 अनवान बींजाराम व अन्य बनाम इग्याराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अक्टूबर 2022 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-26RAAJodhpur2023-20RTA223 Beenjaram ors Vs Igyaram etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. बींजाराम पुत्र पाबूराम 02. माणकराम पुत्र पाबूराम 03. मोहनलाल पुत्र पाबूराम 04. मूलाराम पुत्र पुनाराम 05. मांगीलाल पुत्र पूनाराम सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- मेगवालों का बास, फलोदी, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. इग्याराम पुत्र लूणाराम 2. जोधाराम पुत्र लूणाराम 3. चन्द्राराम पुत्र लूणाराम 4. श्रवणराम पुत्र लूणाराम 5. दुर्गाराम पुत्र लूणाराम 6. भूराराम पुत्र लूणाराम 7. भंवरलाल पुत्र लूणाराम 8. फूसी पुत्री लूणाराम 9. लुणाराम पुत्र प्रभूराम 10. पपादेवी पत्नी भूराराम 11. द्रोपदी पत्नी परमाराम 12. सुआ पत्नी राजेन्द्र 13. केकू पत्नी गोपीचन्द 1. सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण-मेगवालों का बास, फलोदी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अक्टूबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 23/2011 बींजाराम व अन्य बनाम इग्याराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 15 जनवरी 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2011 अनवान बींजाराम व अन्य बनाम इग्याराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अक्टूबर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 15 जनवरी 2024 को जारी किया गया।

15.1.24

(मंगलाराम पूनिया) RAS

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

15.1.24

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर